



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त दीपक अहिरवार पुत्र पहलवान सिंह नि० ग्राम कुसमिलिया थाना डकोर जनपद जालौन द्वारा थाना कोंच क्षेत्र में लूट की घटना करने के सम्बन्ध में थाना कोंच में मु०अ०सं० 890/2013 (वाद संख्या – 56/2013) धारा 392/411 भादवि पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 20.09.2023 को मा० न्यायालय एडीजे/स्पे० डकैती कोर्ट उर्ई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त दीपक अहिरवार उपरोक्त को दोषी पाते हुये 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल महेन्द्र विक्रम सिंह



कोर्ट पैरोकार आरक्षी हृदेश कुमार

✕ @jalaunpolice

📷 jalaunpolice

f JalaunPolice